

वाणिज्य सचिव श्री गोपाल के पिल्लई की अध्यक्षता में 10 अक्टूबर, 2006 को कमरा नंबर 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अनुमोदन बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त

नए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए श्री गोपाल के पिल्लई, वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में 10 अक्टूबर, 2006 को अपराह्न 02.30 बजे एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की बैठक हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट I)

एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 7वीं बैठक के प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष ने देश में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के संबंध में मीडिया में उठाए गए विभिन्न मुद्दों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया और सुझाव दिया कि विशेष रूप से राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को सकारात्मक प्रभावों पर बल देना चाहिए कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना उनके अपने राज्यों में अतिरिक्त रोजगार के सृजन, अच्छी अवसंरचना के विकास आदि के लिए लाई जा सकती है। अध्यक्ष ने राज्य सरकारों से अपने अपने राज्यों में अनुमोदित एसईजेड को अधिसूचित करने की प्रक्रिया तेज करने और विभिन्न स्वीकृतियां एवं प्रलेखन सुगम बनाने की भी अपील की। राज्य सरकारों के कुछ प्रतिनिधियों ने बताया कि एसईजेड की वास्तविक स्थापना में आने वाली अड़चनों में से एक पर्यावरणीय स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए लगने वाला समय है जिसके लिए प्रक्रिया काफी जटिल है। अनुरोध किया गया कि परियोजनाओं के शीघ्रता से कार्यान्वयन में इन प्रक्रियाओं को सरल बनाने से काफी मदद मिल सकती है।

#### (क) औपचारिक अनुमोदनों के लिए सिफारिशें

1. बंगलौर, कर्नाटक में 15.732 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इट्टिना प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 5)

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने बंगलौर, कर्नाटक में 15.732 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इट्टिना प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. हासन, हासन जिला, कर्नाटक में 157.91 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा खाद्य प्रसंस्करण एवं संबद्ध सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 6)

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने हासन, हासन जिला, कर्नाटक में 157.91 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा खाद्य प्रसंस्करण एवं संबद्ध सेवाओं

के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. रमन नगर, के आर पुरम, बंगलौर उत्तर, कर्नाटक में 15.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए बैगमाने डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 9) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने रमन नगर, केआर पुरम, बंगलौर उत्तर, कर्नाटक में 15.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बैगमाने डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. बेलांडुर अमनी काने, एयरपोर्ट रोड के सामने, बंगलौर, कर्नाटक में 19 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में दिव्यश्री इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 17)

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 47.54 एकड़ भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने बेलांडुर अमनी काने, एयरपोर्ट रोड के सामने, बंगलौर, कर्नाटक में 19 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में दिव्यश्री इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. हवाइट फील्ड मेन रोड, बंगलौर, कर्नाटक में 20.24 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में चैतन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 26)

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने हवाइट फील्ड मेन रोड, बंगलौर उत्तर, कर्नाटक में 20.24 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में चैतन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

6. हासन, हासन जिला, कर्नाटक में 281.21 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा फर्मास्युटिकल, बायोटेक और रसरयन उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 32)

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने राज्य सरकार को सूचित किया कि केवल एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड प्रदान किया जा सकता है। तदनुसार, राज्य सरकार के प्रतिनिधि के अनुरोध के अनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने हासन, हासन जिला, कर्नाटक में 281.21 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा फर्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**7. इलेक्ट्रानिक्स सिटी, फेज 3, बंगलौर, कर्नाटक में 43 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कर्नाटक जैव प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा (केबीआईटीएस) द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 41)**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि केवल 37 हेक्टेयर भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने इलेक्ट्रानिक्स सिटी, फेज 3, बंगलौर, कर्नाटक में 37 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कर्नाटक जैव प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा (केबीआईटीएस) द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**8. ग्राम बुरलट्टी, अठानी तालुक, बेलगाम जिला, कर्नाटक में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एकीकृत गन्ना प्रसंस्करण परिसर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 42) :**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम बुरलट्टी, अठानी तालुक, बेलगाम जिला, कर्नाटक में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एकीकृत गन्ना प्रसंस्करण परिसर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**9. ग्राम नेदुम्बासेरी और चेंगमानाडु, अलुवा तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में 30.76 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 47)**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम नेदुम्बासेरी और चेंगमानाडु, अलुवा तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में 30.76 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**10. कोचीन, केरल में 12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टीसीजी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 49)**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कोचीन, केरल में 12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टीसीजी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**11. ग्राम तमकुंटा एवं गोलापुरम, हिंदूपुर मंडल, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में 141.64 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में नियोजन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपैरल पार्क के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का स्थापना (क्रम संख्या 51)**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम तमकुंटा एवं गोलापुरम, हिंदूपुर मंडल, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में 141.64 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में नियोजन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपैरल पार्क के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**12. मुगुलू मंडल तालुक, कराकपटला गांव, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) द्वारा 40.47 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बायोटेक के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 53)**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने मुगुलू मंडल तालुक, कराकपटला गांव, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) द्वारा 40.47 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बायोटेक के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**13. मामिडीपल्ली गांव, सररनगर मंडल, जिला रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश में ब्राह्मणी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 60.70 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 55)**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने मामिडीपल्ली गांव, सररनगर मंडल, जिला रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश में ब्राह्मणी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 60.70 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में

आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

14. कांच इमारत रवीरयाल गांव, महेश्वरम मंडल, जिला रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश में इंदू टेकजोन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 60.7 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 56)

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कांच इमारत रवीरयाल गांव, महेश्वरम मंडल, जिला रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश में इंदू टेकजोन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 60.7 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

15. उप्पल औद्योगिक विकास क्षेत्र, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 11.735 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टॉपनोच इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 57)

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने उप्पल औद्योगिक विकास क्षेत्र, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 11.735 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टॉपनोच इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

16. जिला रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश में एमार हिल्स टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 10.33 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 58)

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। नोट किया गया कि विकासक प्रस्तावित भूमि में मौजूद निजी आम रास्ता के लिए अलग एंट्री प्रदान करने के लिए तैयार है जिससे भूमि की सन्निकटता बनी रहेगी। इस शर्त के अधीन, अनुमोदन बोर्ड ने जिला रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश में एमार हिल्स टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 10.33 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

17. इमारत कांच, रवीरयाल गांव, हिमारत तालुक, महेश्वरम मंडल, जिला रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश में जेटी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 28.33 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 61)

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने इमारत कांच, रवीरयाल गांव, हिमारत तालुक, महेश्वरम मंडल, जिला रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश में जेटी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 28.33 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**18. किस्टापुर गांव, चेवला मंडल, जिला रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश में रुद्रदेव इंफोपार्क प्राइवेट लिमिटेड (आरआईपीएल) द्वारा 12.42 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 62)**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने किस्टापुर गांव, चेवला मंडल, जिला रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश में रुद्रदेव इंफोपार्क प्राइवेट लिमिटेड (आरआईपीएल) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**19. चेवला, फराह इंजीनियरिंग कालेज के पीछे, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 40.47 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में महावीर स्काईस्क्रैचर्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 64)**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 23.66 हेक्टेयर भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने चेवला, फराह इंजीनियरिंग कालेज के पीछे, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 23.66 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में महावीर स्काईस्क्रैचर्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**20. कांच इमारत, महेश्वरम मंडल, जिला रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश में 68.96 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में स्टारगेज़ प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस / इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 65)**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड कांच इमारत, महेश्वरम मंडल, जिला रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश में 68.96 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में स्टारगेज़ प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस / इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**21. कौंडाकल, बुलकापुर गांव, शंकरपल्ली मंडल, जिला रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश में लहरी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सेवा क्षेत्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 74)**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कौंडाकल, बुलकापुर गांव, शंकरपल्ली मंडल, जिला रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश में लहरी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सेवा क्षेत्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**22. बाचुपल्ली गांव, कुतबुल्लापुर मंडल, जिला रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश में मेटास प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 29.85 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 75)**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने बाचुपल्ली गांव, कुतबुल्लापुर मंडल, जिला रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश में मेटास प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 29.85 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**23. गुंडला पोचमपल्ली गांव, मेडचल मंडल, जिला रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश में मेटास प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 14.16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 76)**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने गुंडला पोचमपल्ली गांव, मेडचल मंडल, जिला रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश में मेटास प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 14 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**24. ग्राम राजापुर और पोलीपल्ली गांव, बालंगर और जेडचारला मंडल, महबूबनगर जिला, आंध्र प्रदेश में 101.17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) द्वारा फार्मास्युटिकल (फार्मुलेशन) के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 78)**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम राजापुर और पोलीपल्ली गांव, बालंगर और जेडचारला मंडल, महबूबनगर जिला, आंध्र प्रदेश में 101.17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) द्वारा फर्मास्युटिकल (फार्मुलेशन) के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**25. गोपनपल्ली गांव, सेरीलिंगमपल्ली मंडल, जिला रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश में मेटास प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 15.92 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 79)**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने गोपनपल्ली गांव, सेरीलिंगमपल्ली मंडल, जिला रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश में मेटास प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 15.92 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**26. पोचरम, हैदराबाद में 26.91 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में के रहेजा कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने पोचरम, हैदराबाद में 26.91 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में के रहेजा कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**(ख) सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए सिफारिशें**

**1. रायपुर, छत्तीसगढ़ में लगभग 2000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में राइटर्स एंड पब्लिशर्स लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 3) :**

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करती है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने रायपुर, छत्तीसगढ़ में लगभग 2000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में राइटर्स एंड पब्लिशर्स लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।



**2. कर्नाटक में 120 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में शिपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (एसआईपीएल) द्वारा फ्री ट्रेड वेयरहाउस जोन की स्थापना (क्रम संख्या 7) :**

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करती है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कर्नाटक में 120 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में शिपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (एसआईपीएल) द्वारा फ्री ट्रेड वेयरहाउस जोन स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**3. ग्राम डोड्डामनगुड्डे, तालुक रामनगरम, जिला बंगलौर देहात, कर्नाटक में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हिंदुजा इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (एसआईपीएल) वस्त्र एवं परिधान के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 39) :**

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करती है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम डोड्डामनगुड्डे, तालुक रामनगरम, जिला बंगलौर देहात, कर्नाटक में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हिंदुजा इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वस्त्र एवं परिधान के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**4. टाडा मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में 283.28 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) द्वारा लेदर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 66) :**

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करती है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में 283.28 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) द्वारा लेदर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**5. पारिगी, हिंदूपुर जिला, आंध्र प्रदेश में 1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रसई प्रापर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 69) :**

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करती है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। इस शर्त के अधीन कि राज्य सरकार विकासक के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं करेगी, अनुमोदन बोर्ड ने पारिगी, हिंदूपुर जिला, आंध्र प्रदेश में 1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रसई प्रापर्टीज

एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**6. मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में डा. रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा 105 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फर्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 72) :**

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करती है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में डा. रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा 105 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फर्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**7. डा. रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश में डा. रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा 110 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फर्मास्युटिकल एवं एक्टिव फर्मास्युटिकल इंग्रेडियंट्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 73) :**

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करती है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने डा. रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश में डा. रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा 110 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फर्मास्युटिकल एवं एक्टिव फर्मास्युटिकल इंग्रेडियंट्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**8. ग्राम महाबतनगर और तुम्मालूर, महेश्वरम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 110 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) द्वारा भवन उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (मद संख्या 77) :**

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करती है। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसईजेड का कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहीं है जिसे भवन उत्पाद के रूप में वर्णित किया गया है और निदेश दिया कि औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व विकासक स्पष्ट करेगा कि एसईजेड के लिए वस्तुतः किस उत्पाद क्षेत्र की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने इस आधार पर ग्राम महाबतनगर और तुम्मालूर, महेश्वरम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 110 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) द्वारा भवन उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ख) आस्थगन के लिए निर्णय :

(ग) भूमि की उपलब्धता या परिकल्पित भूमि के प्रकार, प्रमोटरों के निवल मूल्य तथा अन्य वित्तीय ब्यौरों पर स्पष्टता के अभाव पर राज्य सरकार की स्पष्ट सिफारिशों के आधार पर शेष प्रस्ताव आस्थगित कर दिए गए। आस्थगित किए गए और वापस लिए गए प्रस्तावों की सूची अनुलग्नक 1 में उपलब्ध है।

**मद संख्या 2 : एफटीडब्ल्यूजेड के साथ सेमीकंडक्टर का निर्माण एवं विकास करने की सुविधा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए मैसर्स फैंब सिटी एसपीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध :**

एफटीडब्ल्यूजेड के साथ सेमीकंडक्टर का निर्माण एवं विकास करने की सुविधा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए मैसर्स फैंब सिटी एसपीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को पुष्टि के लिए अनुमोदन के समक्ष रखा गया। अनुमोदन बोर्ड ने फाइल पर प्रदान किए गए अनुमोदन की पुष्टि की।

**मद संख्या 3 : अधिकृत गतिविधियों के लिए मैसर्स ईटीएल इनफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड के प्रस्ताव की पुष्टि :**

अधिकृत गतिविधियों, जिसके लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था, के लिए मैसर्स ईटीएल इनफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड के अनुरोध को पुष्टि के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा गया। अनुमोदन बोर्ड द्वारा इसे नोट किया गया।

**मद संख्या 4 : इनफोपाक्स, केरल के साथ सह विकासक के लिए मैसर्स लीला लेस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध :**

उनके अनुरोध में सूचीबद्ध कुछ गतिविधियों के लिए इनफोपाक्स, केरल के साथ सह विकासक के लिए मैसर्स लीला लेस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को अनुमोदन बोर्ड द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। सदस्य, सीमा शुल्क तथा सदस्य सीबीडीटी ने सूचित किया कि वित्त मंत्री ने अधिकृत प्रचालनों की सूची को अभी तक मंजूरी प्रदान नहीं की है और सुझाव दिया कि अनुमोदन प्राप्त होने तक अधिकृत प्रचालनों के अनुमोदन को आस्थगित किया जा सकता है। अध्यक्ष ने शीघ्रता से निर्णय लेने का अनुरोध किया क्योंकि अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान न किए जाने के कारण अनेक एसईजेड में कार्य रुका पड़ा है।

**मद संख्या 5 : विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में बहु उत्पाद एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए मैसर्स एपीआईआईसी का अनुरोध :**

अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध को आस्थगित कर दिया गया तथा अधिसूचित किए जाने वाले अधिकृत प्रचालनों की सूची पर राजस्व विभाग से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद विचार किया जाएगा।

**मद संख्या 6 : महेश्वरम गांव, रंगारेड्डी जिला में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एपीआईआईसी का अनुरोध :**

अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध को आस्थगित कर दिया गया तथा अधिसूचित किए जाने वाले अधिकृत प्रचालनों की सूची पर राजस्व विभाग से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद विचार किया जाएगा।

**मद संख्या 7 : राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त करने के लिए अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स स्वीट होम एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध :**

अनुमोदन बोर्ड द्वारा राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त करने के लिए 60 दिन की अगली अवधि तक समय बढ़ाने के लिए मैसर्स स्वीट होम एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की गई।

**मद संख्या 8 : चेन्नई, तमिलनाडु में मैसर्स ईटीएल इनफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में परिवर्तन :**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि चेन्नई, तमिलनाडु में मैसर्स ईटीएल इनफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड ने आईटी / आईटीईएस एसईजेड का क्षेत्रफल 10.50 हेक्टेयर से बढ़ाकर 10.57 हेक्टेयर करने के लिए अनुरोध किया है।

**मद संख्या 9 : अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स कोयंबटूर हाइटेक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध :**

अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध को आस्थगित कर दिया गया तथा अधिसूचित किए जाने वाले अधिकृत प्रचालनों की सूची पर राजस्व विभाग से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद विचार किया जाएगा।

10 अक्टूबर, 2006 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 7वीं बैठक का कार्यवृत्त

**मद संख्या 10 : बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स विकास टेलीकॉम लिमिटेड का अनुरोध :**

अनुमोदन बोर्ड ने बंगलौर, कर्नाटक में अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में 5.21 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए मैसर्स विकास टेलीकॉम लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया और मंजूरी प्रदान की।

**मद संख्या 11 : टीए / डीए के प्रावधान के लिए प्रो. अनुराग अग्रवाल, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने टीए / डीए के प्रावधान के लिए प्रो. अनुराग अग्रवाल, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के अनुरोध पर विचार किया और आईआईएम अहमदाबाद के साथ इनके वर्तमान आवंटन में उनकी पात्रता के अनुसार टीए / डीए प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

**पूरक एजेंडा 1 :**

**मद संख्या 2 : रिलायंस, जाम नगर अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के बहु उत्पाद एसईजेड में परिवर्तन तथा सन्निकटता की शर्त में छूट के लिए अनुमोदन :**

नोट किया गया कि मैसर्स रिलायंस इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 440.08 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था और यह एसईजेड के रूप में 19 अप्रैल 2006 को अधिसूचित किया गया। 17 मार्च 2006 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने विकासक द्वारा 1000 हेक्टेयर का न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने पर क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के विस्तार के लिए भी विकासक को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया था।

सूचित किया गया कि मैसर्स आरआईएफएल का इस समय 784 हेक्टेयर की अतिरिक्त भूमि पर कब्जा है और उन्होंने बहु उत्पाद एसईजेड के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है। तथापि, कब्जा के अधीन भूमि पर दो रेल लाइनों और दो सड़कों के रूप में आम रास्ता होने के कारण विकासक ने सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है जिसके लिए वे अनुमोदन बोर्ड की संतुष्टि के अनुसार अपेक्षित व्यवस्था करने के लिए सहमत हैं।

राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों की इच्छा के अनुसार जब 28 सितंबर 2006 को आयोजित बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया गया तो यह मुद्दा विधि मंत्रालय को उनकी राय के लिए संदर्भित किया गया कि क्या एसईजेड नियम 5.2 (क) - तीसरे प्रावधान के अंतर्गत सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने के लिए अनुमोदन बोर्ड अधिकृत है या नहीं। इसके बाद 6 अक्टूबर 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों ने कहा कि एसईजेड नियमावली स्पष्ट है और विधि मंत्रालय से राय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

तथापि, सदस्य, सीबीडीटी ने सुझाव दिया कि चूंकि मामला विधि मंत्रालय के पास भेजा गया है, इसलिए उनकी टिप्पणियों के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।

इस बैठक में भी अनुमोदन बोर्ड के समक्ष मामला रखा गया जिसमें विधि मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि एसईजेड नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने का अधिकार अनुमोदन बोर्ड के पास है जो मामला दर मामला आधार पर तथा मामले के मेरिट के आधार पर होगा। सन्निकटता बनाए रखने के लिए विकासक द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में बोर्ड के सदस्यों को संतुष्ट करने के लिए विकासक के प्रतिनिधि से अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुति देने के लिए कहा गया। इस प्रस्तुति के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि विकासक रेल लाइनों और सड़कों की फेंसिंग करेगा तथा अंडरपास का निर्माण करके सन्निकटता का सुनिश्चय किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित होगा कि इन आम रास्तों के माध्यम से एसईजेड में कोई अनधिकृत एंट्री संभव नहीं होगी। विकासक ने विस्तृत प्लान को दर्शाने वाला मैप भी प्रस्तुत किया। विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि ने कहा कि मामला दर मामला आधार पर निर्णय लेना अनुमोदन बोर्ड के ऊपर निर्भर है। विकासक के प्रतिनिधियों ने प्रस्तुति दी तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किसी आवश्यकता को पूरा करने का आश्वासन दिया। सदस्य, सीबीडीटी ने यह राय व्यक्त की कि अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत मैप उनके पास उपलब्ध नहीं है और तदनुसार इस पर निर्णय आस्थगित कर दिया गया ताकि वे मैप की जांच कर सकें। सदस्य, सीबीडीटी को मैप की प्रति सौंपी गई। तदनुसार निर्णय अगली बैठक के लिए आस्थगित कर दिया गया।

**मद संख्या 3 : शू विनिर्माताओं के कंसोर्टियम को प्रदान किए गए अनुमोदन के अंतरण के लिए सिपकॉट का अनुरोध :**

अनुमोदन बोर्ड द्वारा शू विनिर्माताओं के कंसोर्टियम को प्रदान किए गए अनुमोदन के अंतरण के लिए सिपकॉट के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की गई।

**मद संख्या 4 : तीन और एसईजेड अर्थात विप्रो, सत्यम और एचसीएल के क्षेत्र को अधिसूचित करने तथा तीन कंपनियों को सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए एलकॉट का अनुरोध :**

एलकॉट द्वारा विकसित किए जाने वाले एकल एसईजेड के रूप में 152.66 हेक्टेयर के संपूर्ण क्षेत्रफल को अधिसूचित करने तथा तीन कंपनियों अर्थात विप्रो, सत्यम और एचसीएल जिनको पहले स्वतंत्र एसईजेड के रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया था, को सह विकासक का दर्जा प्रदान करने एलकॉट के अनुरोध को अनुमोदन बोर्ड द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त तीन कंपनियों जो एलकॉट की परियोजना के लिए सह विकासक होंगी, को प्रदान किए गए एसईजेड अनुमोदन को निरस्त करने का भी निर्णय लिया।

10 अक्टूबर, 2006 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 7वीं बैठक का कार्यवृत्त

**मद संख्या 5 : क्षेत्रफल को 120 हेक्टेयर से बढ़ाकर 190.42 हेक्टेयर करने के लिए तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम का अनुरोध :**

अनुमोदन बोर्ड द्वारा क्षेत्रफल को 120 हेक्टेयर से बढ़ाकर 190.42 हेक्टेयर करने के लिए तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की गई।

**पूरक एजेंडा 2 :**

**मद संख्या 1 :**

संयुक्त विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने पुष्टि की कि 160 एकड़ भूमि पर कब्जा पहले से है। अनुमोदन बोर्ड ने मौजूदा विशाखापट्टनम एसईजेड के क्षेत्रफल में 160 एकड़ जिस पर पहले से ही कब्जा है, की वृद्धि के लिए मंजूरी प्रदान की। अनुमोदन बोर्ड ने 152.58 एकड़ की और वृद्धि के लिए भी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की तथा संयुक्त विकास आयुक्त, वीएसईजेड को अनुमोदन बोर्ड से उस समय संपर्क करने की सलाह दी जब वीएसईजेड का उक्त 152.58 एकड़ पर कब्जा हो जाए।

**मद संख्या 2 :**

अनुमोदन बोर्ड ने राजस्व विभाग से टिप्पणियां प्राप्त होने तथा केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत प्रचालनों के अधिसूचित हो जाने तक अधिकृत प्रचालनों के अनुमोदन पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

10 अक्टूबर, 2006 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 7वीं बैठक का कार्यवृत्त

अनुबंध 1

आस्थगित किए गए एवं वापस लिए गए प्रस्ताव - 10 अक्टूबर 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक

एजेंडा में मद संख्या	प्रस्तावों की संख्या	विकासक	स्थान	राज्य	उत्पाद	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	1	श्याम बुरलैप कंपनी लिमिटेड	गुवाहाटी, जिला कामरूप, असम	एस	बहु उत्पाद	1012
2	2	आस्ट्रल कोक एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	रायपुर, छत्तीसगढ़	सीजी	आईटी	100
4	3	आइकॉन एग्रोफूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	बेलगाम, कर्नाटक	केएन	एग्रोफूड	प्रस्ताव में नहीं दिया गया है
8	4	वेनोरा आनलाइन प्राइवेट लिमिटेड	मैसूर, कर्नाटक	केएन	आईटी	12.14
10	5	सलारपुरिया प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	सोनेनहल्ली गांव, केआर पुरम होबली, बंगलौर पूर्व तालुक	केएन	आईटी / आईटीईएस	14.54
11	6	बैगमाने कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	महादेवपुरा, केआर पुरम, बंगलौर उत्तर, कर्नाटक	केएन	आईटी / आईटीईएस	12
12	7	मफार होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	देवनहल्ली गांव, बंगलौर, कर्नाटक	केएन	आईटी / आईटीईएस	12.14
13	8	सनराइज इंटरैक्टिव इंडिया लिमिटेड	व्हाइटफील्ड मेन रोड, बंगलौर	केएन	आईटी / आईटीईएस	26.32
14	9	पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड	हुंसूर बंगलौर रोड कर्नाटक	केएन	आईटी / आईटीईएस	10.121
15	10	पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड	बेनेरहाटा कोलुवरयानाहल्ली रोड, बंगलौर सिटी	केएन	आईटी / आईटीईएस	10.121



10 अक्टूबर, 2006 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 7वीं बैठक का कार्यवृत्त

18	11	भारतीय रियलिटी एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	बंगलौर, कर्नाटक	केएन	आईटी / आईटीईएस	100
19	12	गोल्डेन गेट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	सरजापुर, बंगलौर, कर्नाटक	केएन	आईटी / आईटीईएस	11.33
20	13	रिनायसंस डिजाइनबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड	मैसूर, कर्नाटक	केएन	आईटी / आईटीईएस	12.14
21	14	नैनो टेक एसईजेड	कूरगल्ली, मैसूर, कर्नाटक	केएन	आईटी / आईटीईएस	11
22	15	क्वालिटी इंजीनियरिंग एंड साफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	हुबली, कर्नाटक	केएन	आईटी / आईटीईएस	10.926
23	16	शपूरजी पलोनजी एंड कंपनी लिमिटेड	गांव मोगरहल्ली, तालुक श्रीरंगपटना, मांड्या जिला, मैसूर, कर्नाटक	केएन	आईटी / आईटीईएस	55
24	17	इंडीलैंड एसईजेड प्रोजेक्ट्स (बंगलौर) प्राइवेट लिमिटेड	बंगलौर, कर्नाटक	केएन	आईटी / आईटीईएस	10
25	18	श्रीराम इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	बी एम कावल गांव, केंगेरी होबली, बंगलौर, कर्नाटक	केएन	आईटी / आईटीईएस	40.48
27	19	राशि डवलपर्स	कूरगल्ली इंडस्ट्रियल एरिया, मैसूर, कर्नाटक	केएन	आईटी / आईटीईएस	12
28	20	किनफोटेक साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	ईपीआईपी, केआईएडीबी इंडस्ट्रियल एरिया, गांजीमट्ट, मंगलौर, कर्नाटक	केएन	आईटी / आईटीईएस	10

10 अक्टूबर, 2006 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 7वीं बैठक का कार्यवृत्त

29	21	रिनायसंस डिजाइनबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड	मंगलौर, कर्नाटक	केएन	आईटी / आईटीईएस	11.33
30	22	कार्ले इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स	नगवारा गांव, बंगलौर उत्तर तालुक	केएन	आईटी / आईटीईएस / बीपीओ	22
31	23	हिंदुजा इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	डुड्डामनुगुड्डे गांव, रामनगरम तालुक, बंगलौर देहात जिला	केएन	आईटी / आईटीईएस / बीपीओ	2
32	24	चैतन्य इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	मलूर, कोलार जिला, बंगलौर, कर्नाटक	केएन	बहु उत्पाद	1450
33	25	गुडडील डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	बी के पाल्या, बंगलौर देहात जिला, कर्नाटक	केएन	बहु उत्पाद	1000
34	26	सैंचुरी प्रापर्टी मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	चिकबल्लापुर, कोलार जिला, एनएच 7, बंगलौर चिकबल्लापुर रोड, कर्नाटक	केएन	बहु उत्पाद	1011.714
36	27	रबर मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेटिव लिमिटेड (रबटेक इंडिया)	नंजनगुड, मैसूर जिला, कर्नाटक	केएन	रबर प्रोसेसिंग	404.685
37	28	गोपालन एंटरप्राइजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	व्हाइटफील्ड, बंगलौर, कर्नाटक	केएन	साफ्टवेयर डवलपमेंट / होटल / सर्विस अपार्टमेंट, मनोरंजन की सुविधा	10.5
38	29	ग्रेमैक इनफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	धारवाड़, कर्नाटक	केएन	स्टील	100
40	30	एसईजेड डवलपर्स बंगलौर प्राइवेट	मनिपाल कर्नाटक	केएन	आईटी / आईटीईएस	25.29

10 अक्टूबर, 2006 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 7वीं बैठक का कार्यवृत्त

		लिमिटेड				
43	31	टंडन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	कूरगल्ली, जिला मैसूर, कर्नाटक	केएन	आईटी / आईटीईएस, हार्डवेयर पार्क	12.15
44	32	इटास्का साफ्टवेयर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	बंडीकोडिगेनहल्ली, देवनहल्ली तालुक, बंगलौर देहात जिला, कर्नाटक	केएन	आईटी / आईटीईएस	131.52
45	33	यूनिटेक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	गांव कुन्नाथुनाडु, तालुक मोरकाला देसम, एर्नाकुलम, केरल	केएल	आईटी / आईटीईएस	28
46	34	यूनीटेक लैंडमार्क डवलपर्स लिमिटेड	एर्नाकुलम, केरल	केएल	आईटी / आईटीईएस	28
48	35	आस्ट्रल कोक एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	कासरगोड, केरल	केएल	बहु उत्पाद	1000
50	36	टेंपल वैली फार्म्स एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	देसम, अलवाये, कोच्चि, केरल	केआर	आईटी	40.48
54	37	इटिना प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	शेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश	एपी	आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर	20
59	38	नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	सेरीलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश	एपी	आईटी / आईटीईएस	10.218
60	39	जेनपैक्ट इंडिया	रंगारेड्डी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	एपी	आईटी / आईटीईएस	20.23
63	40	मार्ग बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड	कोटरामंगलम गांव (तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण	एपी	आईटी / आईटीईएस	10.12

10 अक्टूबर, 2006 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 7वीं बैठक का कार्यवृत्त

			की सीमाओं के अंदर), तिरुपति, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश			
67	41	ग्रेमैक इनफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	बोबली, आंध्र प्रदेश	एपी	बहु उत्पाद	1000
68	42	एंबीयंट इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	अरुटला, बंदालेमुर, मंचाला मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश	एपी	बहु उत्पाद	1000
70	43	डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड	हिंदूपुर, आंध्र प्रदेश	एपी	बहु उत्पाद	1012
71	44	सिल्वर ओक टेक्नोलॉजीज	कोमारगिरि गांव, कोटापल्ली मंडल, काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश	एपी	फार्मा	100
80	45	धनवंतरि हैदराबाद लाइफ साइंसेज सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	महबूबनगर, आंध्र प्रदेश	एपी	जैव प्रौद्योगिकी (जीवन विज्ञान)	170
पूरक एजेंडा	46	मैसर्स राइटर्स एंड पब्लिशर्स लिमिटेड	छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	बहु सेवा	200

प्रस्ताव जो वापस ले लिए गए :

16	1	यूनीटेक रियल्टी डवलपर्स लिमिटेड	गांव चन्ना सांद्र, महादेव पुरा, सीएमसी एरिया, व्हाइटफील्ड, बंगलौर, कर्नाटक	केएन	आईटी / आईटीईएस	10
52	2	यूनीटेक बिल्डर्स एंड डवलपर्स	मंडल मलकागिरि, सिकंदराबाद, आंध्र	एपी	आटो कंपोनेंट्स एंड	10

10 अक्टूबर, 2006 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 7वीं बैठक का कार्यवृत्त

		लिमिटेड	प्रदेश		एंसिलरी	
--	--	---------	--------	--	---------	--

10 अक्टूबर 2006 को आयोजित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अनुमोदन बोर्ड की 7वीं बैठक के प्रतिभागियों की सूची

1.	श्री गोपाल के पिल्लई, वाणिज्य सचिव - अध्यक्ष
2.	श्री देवेन्द्र दत्त, सदस्य (सीमा शुल्क), सीबीईसी, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 001
3.	श्री अरुण भार्गव, सदस्य, सीबीडीटी, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 001
4.	श्री दीपक गर्ग, अवर सचिव (आईटीए-1), सीबीडीटी, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 001
5.	श्री दिनेश वर्मा, आयकर आयुक्त (आईटीए), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 001
6.	श्री जे के बतरा, महानिदेशक (एसटीएफ), सीबीईसी, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 001
7.	श्री बी के जुनेजा, अपर महानिदेशक (निर्यात संवर्धन), सीबीईसी, होटल जनपथ, प्रथम तल, नई दिल्ली - 110 001
8.	श्री एस के शर्मा, उप निदेशक (निर्यात संवर्धन), विकास आयुक्त (एसएसआई) का कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011
9.	श्री टी बालकृष्णन, प्रधान सचिव (उद्योग एवं वाणिज्य), केरल सरकार, त्रिवेंद्रम
10	श्री एम प्रताप, मुख्य मंत्री के अपर सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद

11	श्री पी एस मूर्ति, संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं वाणिज्य विभाग, आंध्र प्रदेश सचिवालय, हैदराबाद
12	श्रीमती के. रत्नप्रभा, सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी), आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद
13	श्री सीटी जगदीशन, महाप्रबंधक (प्रभारी), सिपकाॅट, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई
14	श्री बी एवानेसन, व्यवसाय विकास प्रबंधक (एलकाॅट), तमिलनाडु सरकार, चेन्नई - 600035
15	श्री एस वी प्रभात, रेजिडेंट आयुक्त, छत्तीसगढ़ सरकार, नई दिल्ली
16	डा. अजय कुमार, निदेशक (समन्वय), रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110011
17	श्री ए वी बगूर, अवर सचिव (समन्वय), रक्षा मंत्रालय, सेना भवन, नई दिल्ली- 110011
18	श्री अमिताभ जैन, संयुक्त डीजीएफटी, उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110 011
19	श्री अरुण कुमार झा, निदेशक, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110011
20	श्री जे एस नेगी, औद्योगिक नियोजन, शहरी विकास मंत्रालय, टीसीपीओ, नई दिल्ली- 110002
21	सुश्री वीना कोठावले, सहायक विधायी अधिवक्ता, विधि एवं न्याय मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 110001

10 अक्टूबर, 2006 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 7वीं बैठक का कार्यवृत्त

22	श्री एस आर धलेटा, संयुक्त सचिव एवं विधायी अधिवक्ता, शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 110001
23	डॉ. एम वी सुब्बा रेड्डी, विकास आयुक्त, वीएसईजेड, विशाखापट्टनम
24	श्री सी जे मैथ्यू, विकास आयुक्त, कोचीन एसईजेड, कोचीन
25	श्री एल बी सिंघल, महानिदेशक, ईओयू तथा ईपीजेड के लिए निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली- 110016
26	श्री बी एस कृष्ण प्रसाद, रेजीडेंट निदेशक, कर्नाटक उद्योग मित्र, कर्नाटक भवन, नई दिल्ली- 110049
27	श्री के एम शिवकुमार, प्रधान सचिव (वाणिज्य एवं उद्योग), कर्नाटक सरकार, बंगलौर

वाणिज्य विभाग

28	श्री योगेन्द्र गर्ग, निदेशक (एसईजेड) - सदस्य सचिव
29	श्रीमती बी रवीन्द्रन, अवर सचिव
30	सुश्री जीन जी वी जिंखई, अवर सचिव
31	श्री जे पी सिंह, अनुभाग अधिकारी
32	श्री कमल अरोड़ा, अनुभाग अधिकारी